फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक बागपत, वरिष्ठ पलिस अधीक्षक हरिद्वार।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या:– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2023 दिनॉक: मार्च 14, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर पुलिस की बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में 01 बादमाश घायल सहित 02 लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से लूटा गया 01 ट्रैक्टर मय ट्रॉला, 01 तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर तथा 01 नाजायज चाकू बरामद।

सादर अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बुढाना के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी शाहपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.03.2023 को थाना शाहपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह मय उ0नि0 श्री नवीन कुमार गौतम मय हमराह का0 1400 राहुल गिरी के वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में थाना शाहपुर से रवाना होकर ग्राम सोरम में सिलारी के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी थाना शाहपुर से जरिए दूरभाष है0का0 प्रवीन कुमार ने सूचना दी कि ग्राम धनायन गोयला तिराहे के पास उ0नि0 श्री संदीप कुमार मय हमराहीगण का0 1206 विजय कुमार, का0 2218 सोमवीर सिंह के चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान गोयला की तरफ से एक स्वराज ट्रैक्टर मय ट्रॉला आया जिस पर दो व्यक्ति सवारे थे, पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर चालक तेजी से ट्रैक्टर को शाहपुर की तरफ भगा ले गया। इस सूचना पर उ0नि0 सत्यवीर सिंह मय हमराहीगण के सोरम पुलिया पर पहुंचे तभी कुछ समय पश्चात धनायन की तरफ से एक ट्रैक्टर मय ट्रॉला आता दिखाई दिया जो काफी तेजी में आ रहा था तथा ट्रैक्टर की दोनो लाईट जल रही थीं। पुलिस पार्टी द्वारा टॉर्च की रोशनी डालकर रुकने का इशारा किया तभी चालक के दाहिने तरफ बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम बाल बाल बची। इसी दौरान उ0नि0 संदीप कुमार मय हमराहीगण भी मौके पर आ गये। पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण की चेतावनी देते हुए ललकारा। तभी ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे व्यक्ति ने ट्रैक्टर से उतरते ही पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया तथा खेतों की तरफ भागा। पुलिस पार्टी द्वारा आतमरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी जिससे भागता हुआ बदमाश लड़खड़ा कर गिर गया तथा ट्रैक्टर चालक को भागने का मौका दिए बिना मौके पर ही पकड लिया गया। पुलिस टीम द्वारा सिखलाए गए तरीके से आगे बढकर घायल बदमाश को पकड़ लिया गया। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार देकर पकड़े गए दोनो अभियुक्तगण के नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो घायल अभियुक्त ने अपना नाम **विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत हाल पता मौहल्ला क्रान्ति नगर कस्बा व थाना बिनौली, बागपत** बताया तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम **रवि चौहान पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम सीतापुर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड** बताया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी शाहपुर में भर्ती कराया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से थाना क्षेत्र रोहटा, मेरठ से लूटा गया 01 ट्रैक्टर मय 01 ट्रॉला, 01 तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर तथा 01 नाजायज चाकू बरामद किए गए, जिसके सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर मु0अ0सं0 72/23 धारा 307/414 भादवि 3/4/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम/पता–

1. विशाल पुत्र राजकुमार वैरागी निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत(घायल)।
2. रवि चौहान पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम सीतापुर थाना ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण–

- 01 ट्रैक्टर मय 01 बड़ा ट्रॉला (थाना क्षेत्र रोहटा, मेरठ से लूटा गया)।
- 01 तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस।
- 01 नाजायाज चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 165/20 धारा 392/411 भादवि थाना चाँदीनगर, बागपत।
2. मु0अ0सं0 235/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिनौली, बागपत।
3. मु0अ0सं0 268/20 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली, बागपत।
4. मु0अ0सं0 270/20 धारा 307 भादवि थाना बिनौली, बागपत।
5. मु0अ0सं0 271/20 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना बिनौली, बागपत।
6. मु0अ0सं0 272/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिनौली, बागपत।
7. मु0अ0सं0 276/20 धारा 414 भादवि थाना बिनौली, बागपत।
8. मु0अ0सं0 324/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली, बागपत।
9. मु0अ0सं0 364/20 धारा 394/411/414/504 भादवि थाना बिनौली, बागपत।
10. मु0अ0सं0 72/23 धारा 307/414 भादवि 3/4/25/27 आयुध अधिनियम थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।
2. उ0नि0 श्री नवीन कुमार गौतम थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।
3. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।
4. का0 1400 राहुल गिरी थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।
5. का0 1206 विजय थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।
6. का0 2218 सोमवीर थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।

नोटः– गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के लुटेरे प्रवृत्ति के अपराधी हैं। अभियुक्तगण द्वारा घटना किए जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।